



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122025-268370
CG-DL-E-09122025-268370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5491]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2025/अग्रहायण 17, 1947

No. 5491]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2025/AGRAHAYANA 17, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5679(अ).— केन्द्रीय सरकार ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ.1147(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा है) द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नामक एक निकाय की स्थापना की थी।

और, गैर-सरकारी सदस्य के निधन के परिणामस्वरूप उक्त प्राधिकरण के क्रम संख्या 20 का पद रिक्त हो गया है;

जैव विविधता नियम, 2024 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अधीन यह उपबंध है कि आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर ऐसे सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया गया था।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के साथ पठित जैव विविधता नियम, 2024 के नियम 6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन

पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1147 (अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, उपशीर्ष "धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन गैर-सरकारी सदस्य" क्रम संख्या (20) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी की जाएंगी, अर्थात्:-

"20) डॉ. आदित्य कुमार जोशी (05.09.2026 तक)"।

पूर्व पीसीसीएफ, मणिपुर,
मकान नंबर 6, आर्मडेल कंपाउंड,
मल्लीताल, नैनीताल
उत्तराखंड - 263001.

[फा. सं. जे-22018/46/2003- सीएससी (बीसी) खंड-III]

रघु कुमार कोडाली, वैज्ञानिक 'जी'

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1147(अ), तारीख 01 अक्टूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसे अधिसूचना संख्यांक का.आ. 497(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2004, का.आ. 262 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2007, का.आ. 389 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2010, का.आ. 3299 (अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2013, का.आ. 1351 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2016, का.आ. 897(अ) तारीख 21 मार्च, 2017, का.आ. 1850 (अ), तारीख 11 जून, 2020, का.आ. 1720 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2021, का.आ. 289(अ), तारीख 15 जनवरी, 2025 और फा.सं. जे-22018/12/2003-सीएससी (बीसी) खंड III, तारीख 06 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2025

S.O. 5679(E).— WHEREAS the Central Government established a body called the National Biodiversity Authority under sub-sections (1) and (4) of section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) *vide* notification number S.O. 1147(E), dated the 1st October, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification);

AND WHEREAS the demise of the non-official member has resulted to becoming the position vacant at serial number 20 of the said Authority;

WHEREAS under sub-rule (3) of the rule 7 of the Biological Diversity Rules, 2024, provides a casual vacancy shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place such member was nominated.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 8 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 6 of the Biological Diversity Rules, 2004, the Central Government hereby makes following further amendment to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1147 (E), dated the 1st October, 2003, namely:-

In the said notification, under the sub-heading, "Non official members under clause (d) of sub-section (4) of section 8", for the serial number (20) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“20) Dr. Aditya Kumar Joshi (upto 05.09.2026)”.

Ex-PCCF, Manipur,
House No. 6, Armadale Compound,
Mallital, Nainital
Uttarakhand- 263001

[F. No. J-22018/46/2003-CSC(BC)Vol.III]

RAGHU KUMAR KODALI, Scientist ‘G’

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1147 (E), dated the 1st October, 2003 and subsequently amended *vide* notifications numbers S.O. 497 (E), dated the 15th April, 2004, S.O. 262 (E), dated the 22nd February, 2007, S.O. 389 (E), dated the 15th February, 2010, S.O. 3299 (E), dated the 31st October, 2013, S.O. 1351 (E), dated the 7th April, 2016, S.O. 897 (E) dated the 21st March, 2017, S.O. 1850 (E), dated the 11th June, 2020, S.O. 1720(E), dated the 30th April, 2021, S.O. 289(E), dated the 15th January, 2025 and F.No. J-22018/12/2003-CSC (BC) Vol.III dated the 06th October, 2025.